उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 84/2021/1671/छप्पन-2021-32(सा0)/2020
लखनऊ : दिनांक : 08 सितम्बर, 2021
फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2021-22 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएँ-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42-अन्य व्यय					
305301800030042	5000.00	30.00	30.00	30.00	4970.00
योग	5000.00	30.00	30.00	30.00	4970.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान					
207000114030016	10.00	40.00	30.00	30.00	40.00
योग	10.00	40.00	30.00	30.00	40.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत के कारण निम्नानुसार है:- प्रदेश की हवाई पट्टियों पर आर0सी0एस0 के तहत संचालित योजनाओं हेतु सुरक्षा, अग्निशमन,दूरसंचार एवं विद्युत् आदि से सम्बंधित सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है| इसका मुख्य कारण कोविड-19 के कारण वायुयान संचालन में कमी आने के फलस्वरूप बचत सम्भावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्न कारणों से है- उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित किये जा रहे एयरपोर्ट्स के विकास के लिए PMG के गठन हेतु तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त किये जाने हेतु जेम पोर्टल से QCBS आधारित बिड द्वारा सेवा प्रदाता संस्था के चयन हेतु व्ययाधिक्य हो रहा है | प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। सुरेन्द्र कुमार अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या- ई-7- 064/दस-2021, दिनांक : 06 सितम्बर, 2021 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। हस्ताक्षर ..... राजेन्द्र राम अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : 84/2021/1671(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	सुरेन्द्र कुमार अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।